न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 108 / 2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. दीपाराम पुत्र आईदानराम मेघवाल निवासी–सोलंकिया तला तहसील शेरगढ, जोधपुर।		1. खमादेवी पत्नि स्व0 बाबूराम 2. दाउराम पुत्र स्व0 बाबूराम मेघवाल निवासी–सोलंकिया तला तहसील शेरगढ, जोधपुर। वर्तमान पता–मकान नम्बर 212, नाकोडा नगर, डालीबाई मन्दिर के सामने, पुरानी झंवर रोड, जोधपुर। 3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, शेरगढ

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.03.2020 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01 / 2020 अनवान खमादेवी बनाम सरकार में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री महेश मेहता, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री बरकतखॉं मेहर, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27 जनवरी, 2023

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 **के** द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट के तहत पत्थरगढी व सीमांकन करने बाबत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उनकी खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि ग्राम सोलंकिया तला के ख0सं0 1487 / 8 रकबा 10.00 बीघा, ख0सं0 1487 / 7 रकबा 06.00 बीघा भूमि आई हुई है जो उसकी खरीदशुदा होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं वर्तमान में वे काबिज काश्त है। उक्त वर्णित भूमि का बंटवाडा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 8.12.19 के पारित निर्णय अनुसार हो रखा है और उसी अनुसार प्रार्थी तरमीम व पत्थरगढी करवाना चाहते है। भूमि की पत्थरगढी की जाती है तो उससे अन्य किसी को किसी प्रकार का नुकसान या क्षति नहीं होगी लेकिन मौके पर पडौसी खेत के काश्तकारों द्वारा दखल अन्दाजी करने की सम्भावना है। इस कारण से उक्त खातेदारी की भूमि की पत्थगढी करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 3.2.20 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार को नोटिस जारी किये तथा पत्रावली दिनांक 14.2.2020 को मुकर्रर की। तहसीलदार के द्वारा दिनांक 11.2.2020 को ही अपना जवाब पेश कर दिया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी / रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को दिनांक 03.3.2020 को स्वीकार करते हुए तहसीलदार शेरगढ को निर्देशित किया कि ख0सं0 1487 / 8 रकबा 10.00 बीघा, ख0सं0 1487 / 7 रकबा 06.00

पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2020 से व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में तहसीलदार शेरगढ ने दिनांक 23.06.2020 को पटवारी हल्का को मौके पर सीमांकन व पत्थरगढी करने हेतु नियुक्त किया तब दिनांक 24.6.20 को पटवारी हल्का मय पुलिस जाब्ता मौके पर अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में सीमांकन कर सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगढी सुनिश्चित की गई व मौका रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 25.6.2020 को पेश की गई थी।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि दाउराम पुत्र बाबूराम मेघवाल जो अपीलान्ट के गांव का होने से परिचित होने से अपीलान्ट को माह नवम्बर 2017 में मिला और कहा कि वो एडवोकेट है तथा बालेसर व शेरगढ के न्यायालयों में वकालत करता है तथा बताया कि ख0सं0 1487, 1734 व 1739 में से लूणाराम के द्वारा अपना नाम गलत रूप से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी में दर्ज कराया है। वर्तमान में लूणाराम के पुत्र जुगताराम व नगाराम के नाम खातेदारी रेकर्ड में गलत दर्ज है जिस पर अपीलान्ट ने गांव वालों को इक्टठा किया उस समय मांगीलाल पुत्र गोरखाराम व रेस्पो0 संख्या 2 दाउराम भी मौजूद था और उसने गांव वालों के समक्ष कहा कि जुगताराम व नगाराम का नाम खातेदारी में गलत दर्ज है और मैं यह कार्यवाही कर इनके नाम हटवा दूंगा लेकिन दाउराम ने अपीलान्ट से मिलने से पूर्व यह मशक्कत सोची समझी चाल के तहत राजस्व रेकर्ड में पता लगा रखा था क्योंकि दाउराम को अपनी ढाणी तक रास्ते की जमीन की आवश्यकता थी जिसके लिये एक योजनाबद्ध तरीके से अपीलान्ट के समक्ष उपरोक्त प्रस्ताव रखा। जिस पर दाउराम ने अपीलान्ट को न्यायालय में दावा दायर करने हेतु कहा तो दाउराम ने सम्पूर्ण मुकदमें के फीस पेटे 02 बीघा जमीन मांगी जिस पर अपीलान्ट 02 बीघा जमीन दाउराम के नाम खातेदारी में इन्द्राज करवाने हेतु तैयार हो गया। जिस पर दाउराम ने हल्का पटवारी से पता किया तो पता चला कि अपीलान्ट की जमीन बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड के एवज में यूको बैंक सेतरावा में रहन होना बताया। जिसे रहन मुक्त करवाने हेतु करीबन 4 लाख 55 हजार रूपये की जरूरत पडेगी जिस पर दाउराम ने कहा कि मैं यह राशि भर दूंगा लेकिन तुम्हे 04 बीघा जमीन और देनी पडेगी जिस पर अपीलान्ट कुल 06 बीघा भूमि दाउराम को देने हेतु तैयार हो गया। तब दाउराम ने अपीलान्ट के किसान क्रेडिट कार्ड के बकाया राशि 4,55,628,48 रूपये जमा करा दिये़ तथा जमीन रहन मुक्त हो गई। जिस पर दाउराम ने अपीलान्ट की तरफ से दावा करने हेतु खेत की नकले प्राप्त की और दाउराम ने अपीलान्ट की जानकारी व सूचित किये बगैर पैरवी नहीं कर वकील पारसमल सोनी, देवेन्द्र सोनी को नियुक्त कर राजस्व वाद दायर करने हेतु मुकर्रर कर दिया परन्तु उन्हें अपीलान्ट से नहीं मिलवाया। तत्पश्चात दिनांक 31.01.2018 को दावा पेश कर दिया गया परन्तु किसी प्रकार से स्थगन लेने की कोशिश नही की क्योंकि उनको यह जानकारी पूर्व से थी कि दाउराम को अपनी ढाणी तक रास्ते की जमीन की आवश्यकता है तथा दाउराम के कहने से उन्होंने स्टे कोई कोशिश नहीं की।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 [illegible]

अपनी माता खमादेवी रेस्पो0 संख्या एक के साथ दिनांक 15.5.18 को अपीलान्ट को साथ लेकर तहसील मुख्यालय शेरगढ आया और अपीलान्ट की अनपढता का फायदा उठाते हुए धोखाधडी कर अपीलान्ट से 06 बीघा के स्थान पर 16 बीघा का बेचाननामा जिसमें 06 दाउराम ने अपने स्वयं के नाम से 10 बीघा भूमि अपनी मॉ खमादेवी के नाम बेचाननामा करवा दिया। जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया न ही किसी प्रकार की जानकारी दी। तत्पश्चात राजस्व वाद में अधिवक्ता पारसमल सोनी ने अपीलान्ट को कोई नोटिस दिये ही दिनांक 9.7.19 को नो इंस्ट्रक्शन प्लीड कर दिया। जिस पर न्यायालय ने नोटिस आने पर अपीलान्ट रेस्पो0 संख्या 2 दाउलाल से मिला तो कहा कि मैं आपका मुकदमा देख रहा हूँ आपको कोई चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। उसके उपरान्त उक्त प्रकरण को अधिवक्ता द्वारा अदम पैरवी व अदम हाजरी में दिनांक 4.10.19 को खारिज करवा दिया। दिनांक 26.3.19 को रेस्पो0 संख्या 2 दाउराम ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम व धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसमें भी अपीलान्ट को नोटिस मिले तो अपीलान्ट उक्त नोटिस लेकर दाउराम के पास गया। दाउराम पहले तो अपीलान्ट की ओर से स्वयं वकील बनकर तथा अपीलान्ट को गुमराह करते हुए अपीलान्ट से खरीद की जमीन का बंटवाडा करवाते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध वाद पेश कर दिनांक 13.9.19 को प्रारम्भिक डिक्री ले ली तथा मौके पर प्रस्तावित बंटवाडा हेतु दिनांक 8.11.19 को मौका फर्द बनाई गई जिस फर्द पर अपीलान्ट को किसी प्रकार से सूचित नहीं किया और न ही अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात बाले बाले दिनांक 6.12.19 को अन्तिम डिक्री ले ली। फिर दाउराम ने मौके पर पत्थरगढी करवाने हेतु व मौके पर कब्जा करने हेतु पडौसी मांगीलाल को रेस्पो0 संख्या 2 ने अपने पक्ष में करने हेतु सांठगाठ की और कहा कि तुम मेरे लिये रास्ते की जमीन दे दो तो मैं तुम्हे रास्ते की जमीन के एवज में अपीलान्ट की जमीन दिलवा दूंगा। तदुपरान्त दिनांक 03.3.2020 को अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश प्राप्त करते हुए दिनांक 24.6.20 को पत्थरगढी करवा ली गई। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया और न ही किसी प्रकार का नोटिस दिया और मौका फर्द बनवा ली। उक्त कार्यवाही रेस्पो0 संख्या 2 दाउराम के द्वारा अपीलान्ट को उसकी जमीन से वंचित करने के लिये षडयंत्र करते हुए अपीलाधीन आदेश सम्बन्धी कार्यवाही करवा लिया जिसमें उसको पक्षकार नहीं बनाया तथा पुलिस की मौजूदगी में दाउलाल व उनकी माता ने स्वयं अपीलान्ट की 16 बीघा भूमि पर तथा मांगीलाल पुत्र गोरखाराम रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलान्ट की कृषि भूमि पर तथा जुगताराम व नगाराम पुत्रान लूणाराम को अपीलान्ट की अन्य कृषि भूमि पर कब्जा करवा दिया। इसके बाद अपीलान्ट को भयभीत करने के लिये पुलिस से मिलीभगत करते हुए गलत जानकारी देते हुए अपीलान्ट को दिनांक 12.7.20 को धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार करवा दिया। अपीलान्ट के द्वारा अपने राजस्व मुकदमें के दस्तावेज दिनांक 15.7.20 तथा दिनांक 29.7.20 को प्राप्त किये तब अपीलान्ट को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई और दाउराम के द्वारा उल्लेखित प्रकरणों में कोई पैरवी नहीं कर अन्य वकील पारसमल सोनी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

व देवेन्द्र सोनी से मिलीभगत कर खारिज करवा दिया है और आपसी सांठगांठ करते हुए राजस्व वाद में नो इंन्सट्रक्शन प्लीड कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी नोटिस अपीलान्ट को मिलने पर उसके अधिवक्ता दाउराम के द्वारा अपीलान्ट का वाद अदमपैरवी व अदम हाजरी में खारिज करवा दिया। वादी/अपीलान्ट को न्यायालय द्वारा जो नोटिस तारीख पेशी बाबत दिनांक 03.05.2019 के भेजे गये तब अपीलान्ट अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 दाउलाल से मिला था लेकिन दाउलाल के कहने पर अपीलान्ट वापस आ गया परन्तु दाउलाल के द्वारा उन्हें न्यायालय में पेश नहीं होने दिया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 4.10.2019 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया। अपीलाधीन आदेश के कम में जो मौका फर्द तैयार की गई वह भी दाउलाल व राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगती से एवं अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है जो मौका फर्द स्वीकार करने योग्य नहीं है और न ही प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी व सीमांकन करने योग्य है। इसके अलावा रेस्पो0 संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदारान/काश्तकारान को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था जो राजस्व नियमों के तहत कार्यवाही सम्पादन हेतु आवश्यक थी। अपीलान्ट ने दिनांक 29.7.20 को बेचाननामें की प्रतिलिपि प्राप्त की तथा अपने अधिवक्ता से दिनांक 20.08.2020 को सम्पर्क कर यह अपील तैयार करवाई एवं न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील पर अन्दर म्याद शुमार की जावें।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के उक्त प्रकरण में विधिक भूल के सम्बन्ध में अपील पेश की है तथा राजस्व अधिकारियों की त्रुटि व भूल से अपीलान्ट अपने खातेदारी हकों से वंचित हुआ है और न्याय हित में उन्हें समुचित अवसर नहीं दिया गया तो अपीलान्ट अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष समुचित रूप से नहीं रख पायेगा। अतः अपीलान्ट को न्यायहित में में अवसर दिया जाकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2020 को निरस्त किया जावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में उपरोक्त घटित कार्यवाही सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा अपनी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1, 2 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट के तहत पत्थरगढी व सीमांकन करने बाबत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उनकी खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि ग्राम सोलंकिया तला के ख0सं0 1487/8 रकबा 10.00 बीघा, ख0सं0 1487/7 रकबा 06.00 बीघा भूमि आई हुई है जो उसकी खरीदशुदा होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं वर्तमान में वे काबिज काश्त है। उक्त वर्णित भूमि का बंटवाडा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 8.12.19 के पारित निर्णय अनुसार हो रखा है और उसी अनुसार प्रार्थी तरमीम व पत्थरगढी करवाना चाहते है। भूमि की पत्थरगढी की जाती है तो उससे अन्य किसी को किसी प्रकार का नुकसान या क्षति नहीं होगी लेकिन मौके पर

उक्त खातेदारी की भूमि की पत्थगढी करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.2.2020 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार को नोटिस जारी किये तथा पत्रावली दिनांक 14.2.2020 को मुकर्रर की। तहसीलदार के द्वारा दिनांक 11.2.2020 को ही अपना जवाब पेश कर दिया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को दिनांक 03.3.2020 को स्वीकार करते हुए तहसीलदार शेरगढ को निर्देशित किया कि ख0सं0 1487/8 रकबा 10.00 बीघा, ख0सं0 1487/7 रकबा 06.00 बीघा भूमि में सभी खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने की कार्यवाही करें जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.3.2020 की पालना में मौके पर दिनांक 24.6.2020 को पत्थरगढी की जा चुकी है। ऐसे में निर्णय आदेश की पालना सम्पन्न होने के बाद यह अपील प्रस्तुत की है जो पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अपील म्याद बाहर पेश की गई है जो दिनांक 27.8.20 को प्रस्तुत की है जो 177 दिन की असाधारण देरी से पेश की है। उक्त अवधि को कन्डोन करने हेतु म्याद प्रार्थना पत्र में कोई ठोस कारण अंकित नहीं किये है। इस आधार पर अपीलान्ट की अपील म्याद बाहर होने से खारिज करने योग्य है। दिनांक 24.6.20 को सम्पन्न की गई पालना कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट स्वयं मौके पर उपस्थित था तथा उसके द्वारा झगडा फसाद करने की चेष्टा की गई। पत्थरगढी सम्पन्न होने के बाद दिनांक 12.7.2020 को अपीलान्ट की उपस्थिति में की गई पत्थरगढी के कुछ भाग को जानबूझकर तोडफोड कर क्षतिग्रस्त कर हटाने की चेष्टा की गई। तब पुलिस बुलाकर अपीलान्ट को गिरफ्तार किया गया जिसे अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया है। इस प्रकार अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश व कार्यवाही की जानकारी भलीभांति थी क्योंकि विवादित भूमि के पडौस में ही उनका निवास व भूमि है इसलिये उसने की गई पत्थरगढी को जानबूझ कर क्षतिग्रस्त किया।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक व दो को अपनी खातेदारी खसरान भूमि की सीमाओं के अनुसार तथा मौके पर खेतों की सीमाओं की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है और उसके अनुसार ही प्रार्थना पत्र पेश किया था, अपीलान्ट को रेस्पो0 की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में उज्र एतराज करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि बंटवाडे की डिक्री अन्तिम जारी हो चुकी है। अपीलान्ट ने अपनी सम्पूर्ण अपील में अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार से हक हिस्सा होने, कब्जा काश्त होने, खातेदारी होने बाबत एक शब्द भी अंकित नहीं किया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्यायोचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जावें।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की गई बहस पर मनन किया। अपीलान्टस के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब बाबत उल्लेखित किये गये कथनों

अपीलांधीन आदेश दिनांक आदेश दिनांक 03.03.2020 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस के मध्य मूल खसरा संख्या 1487/1 का बंटवाडा दिनांक 06.12.2019 को किया गया। बंटवाडा अनुसार खमादेवी पत्नि बाबूराम मेघवाल को खसरा संख्या 1487/8 रकबा 10 बीघा, दाउराम पुत्र बाबूराम मेघवाल को खसरा संख्या 1487/7 रकबा 06 बीघा तथा दीपाराम पुत्र श्री आईदानराम मेघवाल को खसरा संख्या 1487/1 रकबा 11 बीघा भूमि प्राप्त हुई जो दर्ज रिकार्ड है। उक्त बंटवाडा अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पैमाइश व पत्थरगढी सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील में मुख्य कथन यह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में अपना पक्ष रखने का व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। लिहाजा अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 को आंशिक संशोधन करते हुए तहसीलदार, शेरगढ को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति में प्रमाणित नक्शें के आधार पर पुख्ता बिन्दुओं से खसरान भूमि की सीमाज्ञान की कार्यवाही की जावे तत्पश्चात विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही अमल में लाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 23 जनवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर